अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कमला बनाम हरि वगैरह (2024/135)

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/135 (पुष्कर)

	श्री सहदेव चौधरी	
25.10.2024	कमला बनाम हरि वगैरह (2024/135) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अपीलाधीन आरातह मूलतः काना पुत्र भूरा रेगर की खातेदारी की भूमि रही है और काना रेगर और उसकी पत्नि कोया देवी के देहान्त के पश्चात अपीलार्थीया/प्रार्थीया का विवादित आराजी में 1/4 हक व हिस्सा निहित हो चुका है और विवादित आराजीमें आज भी बतौर विरासत प्रार्थीया का 1/4 हक व हिस्सा विद्यमान होकर उक्त आराजी अविभाजित आराजी है और उक्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण अवैध और अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है और मौके पर सडक निर्माण किया जा रहा है और विवादित आराजी की मूलभूत स्थिति में भारी परिवर्तन मौके पर किया जा रहा है और आराजी मे अवैध आवासीय कॉलोनी काटकर छोटे–छोटे भूखण्डों में आराजी को अन्यत्र वेचान, हस्तान्तरण आदि किया जा रहा है और यदि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण विवादित आराजी में अवैध कॉलोनी काटकर भूखण्ड अन्य को वेचान हस्तारन्तरण कर देगे तो प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की आराजी से महरूम हो जायेगी और कानूनी जटिलताओं के साथ साथ वाद वाहुलता होगी जो कि कतई न्यायोचित नहीं है इसलिए न्यायहित में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक है।प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही विन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित रखा जाकर प्रत्यर्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति को वनाये रखने हेतु पावंद किया जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया।वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है अन्तिम आदेश नहीं है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद वनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे 31.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आज ही सुनवाई कर अप्रार्थीगण को जरिये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने पेश किया गया।जिस पर प्रार्थी को विधिवत रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आज ही सुनवाई कर अप्रार्थीगण को जरिये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद सुना जाकर खारिज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर पेशी दिनांक 14.06.2024 नियत की	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कमला बनाम हरि वगैरह (2024/135)

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/135 (पुष्कर)

गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner